## राजस्थान सरकार
## निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक :– 3517-3597 दिनांक : 09-10-2019

समस्त अतिरिक्त निदेशक,
समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त उप निदेशक एवं समकक्ष,
पशुपालन विभाग, राजस्थान

विषय :– ए.सी.पी. प्रकरणो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों की ए.सी.पी. देय होने पर प्रकरण निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से दृष्टिगत रखते हुए गंभीरता से परीक्षण करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु प्रेषित करावे :–

i. अधिकारी / कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि, प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि इन्द्राज है।
ii. सेवा पुस्तिका में अंकित वेतन वृद्वियां, वेतन नियतन / स्थिरीकरण, पूर्व में दी गई पदौन्नति व ए.सी.पी. का इन्द्राज कर वेतन नियतन का इन्द्राज कर दिया गया है, तथा पूर्व में दिये गये वित्तीय लाभ नियमानुसार सही है।
iii. अधिकारी / कर्मचारी को किसी प्रकार का दण्ड दिया गया हो तो, सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से इन्द्राज कर दिया गया है। तथा दण्ड का प्रभाव डालते हुये ए.सी.पी. प्रकरण प्रस्तुत करे।
iv. सम्पूर्ण सेवा काल में तीन ए.सी.पी. / पदौन्नति से अधिक लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
v. सातवे वेतनमान में प्रदेय ए.सी.पी. प्रकरणों को पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन निर्धारण के पश्चात निर्धारित ए.सी.पी. आवेदन पत्र (ए.सी.पी. प्रपत्र–ब) में पूर्ण विवरण भरकर प्रस्तुत करे, यदि कोई कार्मिक पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में अपना वेतन दिनांक 01.01.2016 व उसके बाद जारी रखने का विकल्प पत्र देता है तो विकल्प की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से प्रविष्ठि की जाकर ऐसे प्रकरणों को निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र–अ) में ही प्रेषित करावें। 01.01.2016 से पूर्व देय ए.सी.पी. निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र–अ) में प्रेषित करावें।
vi. यदि किसी कार्मिक द्वारा पदौन्नति का परित्याग किया गया हो तो सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से आवश्यक रूप से इन्द्राज करावें।
vii. संतान संबधी घोषणा पत्र (प्रपत्र–स) में पूर्ण भरकर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात ए.सी.पी. आवेदन पत्र के साथ संलग्न करावे।
viii. सेवा पुस्तिका में प्रथम नियुक्ति तिथि से अब तक सेवा सत्यापित है, परीक्षण उपरान्त ही प्रकरण भिजवाये।
ix. अधिकारी / कर्मचारी का आर.पी.एस.सी. से चयन/प्रथम नियुक्ति तिथि से नियमितिकरण कर दिया गया है। सेवा पुस्तिका में आर.पी.एस.सी. चयन आदेश / नियमितिकरण आदेश का इन्द्राज आवश्यक रूप से करावे।
x. यदि लागू हो तो अनुकम्पा नियुक्ति से आये कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उतीर्ण कर ली गयी है, जिसका इन्द्राज सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
xi. ए.सी.पी. प्रकरण के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करावे :–
   1) आवेदन पत्र
   2) प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति

3) संतान संबंधी घोषणा पत्र
4) अनुकम्पा नियुक्ति के तहत नियुक्त कार्मिको का टंकण परीक्षा उतीर्ण प्रमाण पत्र (जिनके लिये राज्य सरकार के नियमानुसार आवश्यक हैं।) की प्रति
5) निर्धारित चैक लिस्ट

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षो को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले ए.सी.पी. प्रकरणों को आपके स्तर/पदस्थापित लेखाकर्मी द्वारा पूर्ण जांच के उपरान्त ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

(डॉ0 शैलेश शर्मा)
निदेशक